राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

कमांकः प.8 (17)/शिक्षा–5/2004 पार्ट–II   जयपुर, दिनांक : 01.06.2009

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 की धारा 3 सहपठित राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम, 1993 के नियम 5(i) तथा उसके अन्तर्गत परिशिष्ट–2 की कम संख्या 7 तथा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता (सम्बद्वता) संबधी विनियम का अध्याय 13 के विनियम 3 (11) एवं केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के Byelaws के Chapter 3 व तद्नुसार केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्व विद्यालयों के लिए जारी राज्य सरकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों तथा छटे वेतन आयोग की सिफारिशों के कम में फीस वृद्वि के बारे में गठित कमेटी की अनुशंषाओं के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार इस विनिश्चय पर पहुँची है, कि राज्य में कार्यरत समस्त निजी विद्यालयों (चाहे किसी भी बोर्ड से सम्बद्वता रखते हो) द्वारा विद्यार्थियों से प्राप्त की जाने वाली फीस व फीस वृद्वि को विनियमित किया जाना आवश्यक है ।

अतः वर्ष 2009–10 के शैक्षिक सत्र के लिए निजी विद्यालयों द्वारा वसूल की जानी वाली फीस में की जाने वाली वृद्वि व भविष्य में की जाने वाली अधिकतम फीस वृद्वि निम्न सारणी व शर्तों के अध्याधीन की जावेगी –

स्कूल श्रेणी	मँहगाई एवं अन्य खर्चो में बढोतरी के कारण देय प्रतिशत* वृद्वि			छटे वेतन आयोग की सिफारिश पर स्टाफ को देय भुगतान के कारण फीस में वृद्वि	कुल वृद्वि
	2007–08	2008–09	2009–10		
1	2	3	4	5	6
चैरीटेबल सोसायटी एवं ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाऐं	7	7	3.5	15	32.5%
शेष संस्थाऐंः– (अ) संभागीय मुख्यालय स्थित	6	6	3	15	30%
(ब) अन्य संस्थाऐ	5	5	2.5	15	27.5%

*(वृद्वि प्रतिशत वर्ष 2007–08 को आधार वर्ष (Base year) मानते हुए प्रस्तावित किया है)

उपरोक्तानुसार फीस वृद्वि की निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. गैर अनुदानित मान्यता प्राप्त संस्थाओं के लिए फीस वृद्वि बाध्यकारी (Fee Hike is not Mandatory) नही हैं ।
2. फीस वृद्वि का अधिकार उन्हीं संस्थाओं को होगा जिन संस्थाओं द्वारा स्थाई स्टाफ नियोजित किया हुआ है, उनका सेवाभिलेख संस्था द्वारा नियमित रूप से संधारित किया जा रहा है एवं छटे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन भुगतान शैक्षिक सत्र 2009–2010 से प्रारंभ किया जा रहा है ।
3. तीन सत्रों में (2007 से 2009–10 तक) कुल वृद्वि उपरोक्त सारणी सीमा से अधिक नहीं होगी । यदि पूर्व सत्रों में वृद्वि कर ली गई है तो वह सारणी के कॉलम संख्या 6 में अंकित कुल वृद्वि में से कम कर दी जावेगी पर अधिकतम वृद्वि इस वर्ष 20% से अधिक नहीं होगी ।
4. जिन विद्यालयों में पिछले 2 वर्षों में वृद्वि नहीं की है उन्हें सारणी के कॉलम संख्या 2 से 5 तक मे अंकित कुल अधिकतम वृद्वि का अधिकार होगा, पर इसकी अधिकतम सीमा 22% से अधिक नहीं होगी ।
5. जिन विद्यालयों द्वारा पूर्व तीन सत्रों में की गई फीस वृद्वि की सीमा, सारणी के कॉलम संख्या 6 में अंकित वृद्वि से समग्र रूप से अधिक फीस वसूल की गयी हो तो अधिक वसूली गई फीस समायोजित की जायेगी ।
6. राज्य सरकार द्वारा इसके बारे में मांगी जानी वाली समस्त सूचनाऐं संस्था द्वारा तुरंत उपलब्ध कराई जावेगी ।
7. उपरोक्त सारणी के अनुसार फीस वृद्वि से किसी विद्यालय को कठिनाई हो तो संस्था पूर्ण औचित्य सहित राज्य सरकार को आदेश प्रसारित किये जाने के अधिकतम 1 माह में प्रतिवेदन दे सकेगी । इस प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा 1 माह के भीतर निर्णय लिया जाकर संबंधित संस्था को सूचित किया जावेगा ।
8. अगले सत्रों में सामान्य फीस वृद्वि एक सत्र में अधिकतम सरणी के कॉलम संख्या 3 में दर्शायी गई वृद्वि से अधिक नहीं होगी ।
9. आर्थिक रूप से पिछड़े मेधावी विद्यार्थियों के लिए कम से कम 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक स्कॉलरशिप का प्रावधान किया जाना जरूरी है ।
10. सभी विद्यालयों में पैरेंटस–टीचर्स एसोसियेशन को प्रभावी किया जावेगा ।
11. शैक्षिक सत्र के बीच (मिड सैशन) में किसी प्रकार की फीस वृद्वि नहीं की जावेगी ।
12. विकास शुल्क, वार्षिक शिक्षण शुल्क (Tution fee) के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा तथा इसका उपयोग फर्नीचर, फिक्चर्स, शिक्षण सामग्री के क्रय व भवन मरम्मत व रख–रखाव आदि के लिए किया जावेगा एवं इसका अलग से रिकॉर्ड संधारित किया जावेगा।

13. संस्थाऐं शिक्षण शुल्क, विकास शुल्क,, निर्धारित कॉशन मनी एवं स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र शुल्क, खेल शुल्क के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का शुल्क वसूल नहीं करेंगी । खेल शुल्क वे ही संस्थाऐं वसूल कर सकेंगी जो खेल मैदान की सुविधा उपलब्ध करा रही हों ।
14. कोई भी संस्था प्रवेश के समय छात्र से पंजीयन शुल्क के रूप में 25 रूपये से अधिक चार्ज नहीं करेगी ।
15. प्रवेश शुल्क 250/– रूपये से अधिक नहीं होगा एवं प्रवेश शुल्क प्रथम प्रवेश के समय ही चार्ज किया जावेगा ।
16. Caution money/Security Deposit प्रत्येक छात्र 500/– रूपये चार्ज किया जावेगा एवं यह राशि किसी Scheduled Bank में विद्यालय के नाम से जमा रखी जावेगी। छात्र के विद्यालय छोड़ते समय यह राशि लौटाई जावेगी चाहे छात्र द्वारा इस हेतु आवेदन किया जावे अथवा नहीं ।
17. प्रत्येक स्कूल को प्रतिवर्ष संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को उनके द्वारा प्रेषित प्रारूप में सूचना अधिकतम 30 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करनी होगी ।
18. कोई भी विद्यालय छटे वेतन आयोग के ऐरियर के भुगतान के आधार पर विद्यार्थियों से किसी प्रकार के अतिरिक्त शुल्क की मॉग नहीं करेगा ।

sd/-
(आर0 पी0 जैन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि पालनार्थः–

1. अध्यक्ष, केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली को सूचनार्थ
2. विशिष्ठ सहायक, मा0 शिक्षा मन्त्री, राजस्थान, जयपुर
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
4. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
5. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
6. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जयपुर
7. अध्यक्ष, सोसायटी फॉर अनएडेड प्राईवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान – सदस्य विद्यालयों को पालनार्थ ।
8. अध्यक्ष, कॉनफीडरेशन ऑफ स्कूल फॉर इनेविशन एण्ड चैंज, जयपुर– सदस्य विद्यालयों को पालनार्थ ।
9. समस्त शिक्षा उप निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा
11. रक्षित पत्रावली

(सियाराम मीणा)
शासन सचिव